

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शुभाव बनाम धमस्वन्द (वर्ग 4)

किस्म मुकदमा प्र.पत्र 111-128 नं० 126 सन 2021

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
--------	----------------------------------	---

9-21

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को समान नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 12-10-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल

8/2/21

पत्रावली प्रशासन गांवों के लेग अक्टियान 2021 केम्य ग्राम पंचायत आलगास मे पेश हुई अगामि के समान वाप तामिल होकर अक्ट डिए एके तहसीला मांडल पखार एका परिवारी डारा रिपटि पेश हुई जिसे शापठ किया गया। प्रार्थी का वाचन स्वीकार किया जाकर ~~सममिर्षिप पुषक से~~ लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फल शुमार होकर नम्बर 126 सन 2021

ज. शुभाश्वरी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के लेग अक्टियान 2021



म्बर व तारीख
हकाम जो इस
म की तामील
जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन शीर्षों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 126/21 प्रा. ए. एस.

1- श्री सुभाष 510361 बलाई निवासी - आलगास त. मांडल

--प्रार्थी

1- श्री अमरचन्द 510361 बलाई निवासी - आलगास त. मांडल

(सुभाष 510361 बलाई निवासी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 8.12.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि ग्राम..... आलगास पटवार हल्का..... आलगास तहसील मांडल/में उसके
खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं..... 1416/242 कुल किता 01
रकबा..... 0.5059 हेक्टेयर..... - स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी
मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते
/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 15.9.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा
नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... आलगास
पटवार हल्का..... आलगास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... 1416/242
..... कुल किता 01 रकबा..... 0.5059 हेक्टेयर..... -

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है ।
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... आलगास को 500/-/-
रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें ।
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावें ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी को
जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन शीर्षों के संग अभियान 2021